राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़
37वीं बैठक – दिनांक 20 मई, 2011 कार्य बिंदु

कार्य बिन्दु संख्या –1

प्रमुख सचिव एवम् आयुक्त(एफ आर डी सी) उत्तराखंड़ शासन ने राज्य के पहाडी जिलों का ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने हेतु ब्लाक/जिला स्तर पर, विशेष उद्योग/सेवाओं का चयन कर, क्षेत्र के विकास हेतु संभावित कार्ययोजना तैयार कर, ऋण प्रवाह बढ़ाने पर सभी जिला के सम्बन्धिक रेखीय विभाग, अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यवाही करें।

(कार्रवाई – सभी अग्रणी जिला प्रबधक/जिला के रेखीय विभाग)

कार्यबिन्दु संख्या –2

प्रमुख सचिव (एफआरडीसी) एवम् प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखंड़ ने कृषि विभाग को राज्य में, कृषकों की संख्या को लेकर विसंगति को अविलम्ब स्पष्ट करने के निर्देश दिये तथा उन्होंने निदेशक (कृषि) को सभी जिला के मुख्य कृषि अधिकारियों को पुनः निर्देशित करने को कहा कि वे एक समय सीमा के अन्दर (अधिकाधिक 03 माह, सितम्बर 2011) अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंड़ को शेष अऋणी कृषकों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा सकें। उन्होंने निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में के0सी0सी0 का लक्ष्य 1 लाख से बढाकर 2 लाख कर दिया जाये।

बैंकों द्वारा वितरित किसान क्रेडिट कार्ड तथा नामित फसल के लिये कृषि बीमा की संख्या/राशि में भारी अन्तर पाया गया है, जिस हेतु बैंक के शाखा प्रबन्धक व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह हैं। अतः सभी नामित फसलों के लिए दिये गये किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि बीमा हेतु प्रीमियम अनिवार्य रुप से काट कर राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी /आई0सी0आई0सी0 लोम्बार्ड को प्रेषण सुनिश्चित करें। हरिद्वार एवं देहरादून जिले के कृषि बीमा प्रीमियम दर में भिन्नता पायी गयी है, अतः सम्बन्धित बीमा कम्पनी, प्रीमियम दर में समानता लाने हेतु कार्रवाई करे।

(कार्रवाई – निदेशक कृषि, उत्तराखंड़ शासन/राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी / आई0सी0आई0सी0 लोम्बाड/समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 3

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने संबन्धित बैंको से अनुरोध किया कि सभी बैंक शेष सुविधा रहित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले एवम् अटल आदर्श ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायें। भारत संचार निगम लिमिटेड़ से अनुरोध है कि सभी ग्रामों में **"ब्रॉडबैंड /जी0पी0आर0एस0"** के माध्यम से Data Transfer हेतु Internet Connectivity उपलब्ध करायें।

(कार्रवाई – सम्बन्धित बैंक/ बी0एस0एन0एल0)

कार्य बिन्दु संख्या – 4

प्रमुख सचिव एवम् आयुक्त (एफआरडीसी) उत्तराखंड़ शासन ने ग्राम्य विकास को निर्देशित किया कि शेष तीन जिलों (उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत) में आरसेटी हेतु आवसीय भवन के निर्माण के लिये एक माह के अंदर भूमि आबंटित/ हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था करें और उन्होंने सभी निदेशक (आर–सेटी) को जिलाधिकारी से संपर्क कर इस प्रकरण में तीव्रता लाने को कहा।

(कार्रवाई – ग्राम्य विकास विभाग/आर सेटी)

कार्य बिन्दु संख्या – 5

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, मनरेगा के भुगतान हेतु बैंको की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (Core Banking System) में खोले गये लाभार्थियों के खातों में Electronic Benefit Transfer(EBT) द्वारा संबंधित बैंको के साथ राशियों को ऑन लाईन अंतरण करने की शीघ्र व्यवस्था करें।

राज्य में e-payment द्वारा 'वाणिज्य कर' का भुगतान मात्र 3 बैंक (SBI, PNB, BOB) ने आरम्भ किया है, अन्य बैंक भी अपने ग्राहको को इस सुविधा से लाभान्वित करें ताकि करदाता Commercial Tax का Online भुगतान कर सके।

(कार्रवाई – राज्य सरकार के संबंधित विभाग/सम्बन्धित बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 6

उद्यान विभाग द्वारा 100 वर्ग मीटर वाले "पाली हाउस" में संरक्षित खेती करने के इच्छुक कृषकों हेतु वर्ष 2011–12 के लिये क्लस्टर आधारित जिलेवार/बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करें और इसकी सूची अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवम् संयोजक, एस0एल0बी0 सी0 को प्रेषित करें। अब तक उद्यान विभाग द्वारा सम्बन्धिक जिलों में 100 वर्ग मीटर के "पाली हाउस" में संरक्षित खेती करने वाले 244 आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंको को वित्त पोषण हेतु प्रेषित किया गया है। सम्बन्धित बैंक, वित्त पोषण उपरान्त स्थापित किये गये "पाली हाउस" की गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी/टिप्पणी , सचिव उद्यान को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई – निदेशक, उद्यान विभाग /सम्बन्धित बैंक/ अग्रणी जिला प्रबन्धक)

कार्य बिन्दू संख्या – 7

निदेशक एच0आर0डी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जडी–बूटी के कृषिकरण हेतु चयनित किये गये 300 क्लस्टर/ग्रामों की सूची एक माह के अन्दर सम्बन्धित बैंकों / अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उपलब्ध करायें एवं इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) बैंक शाखाओं को वित्त पोषण हेतु प्रेषित करें।

(कार्रवाई– उद्याान विभाग/ अग्रणी जिला प्रबन्धक)

कार्य बिन्दु संख्या – 8

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड़ शासन ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया, कि गतवर्ष वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, अतः इस वर्ष प्रारम्भ से ही चरणबद्ध क्रम में समुचित मात्रा में आवेदन–पत्र (विशेषकर – गैर वाहन श्रेणी के) बैंको को प्रेषित किये जाये तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

(कार्रवाई–पर्यटन विभाग/समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 9

चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा नई शाखा खोलते समय ATM भी स्थापित किया जाए ताकि स्थानीय ग्राहको के साथ ही यात्रियों/पर्यटकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय ने बैंको को निर्देशित किया कि वह अपनी नवीन शाखा खोलने की सूचना सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक तथा एस.एल.बी.सी. को अवश्य प्रेषित करें ताकि डाटाबेस को अद्यतन किया जा सके।

(कार्रवाई – समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 10

अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी. को निर्देशित किया कि वे लम्बित अनुदान राशि शीघ्र बैंको को उपलब्ध करायें और बैंको को कहा कि यदि उनके स्तर पर कोई अनुदान दावा लम्बित हो तो उसे एक माह के अन्दर **"नोडल बैंक शाखा"** के माध्यम से के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी. को निपटान हेतु प्रेषित करें।

(कार्रवाई–समस्त बैंक /के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी.)

कार्य बिन्दु संख्या – 11

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही Interest Subsidy on Housing for Urban Poor (ISHUP) योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य राज्यो की भाँति **"राज्य नगरीय विकास अभिकरण"** (SUDA) को नोडल ऐजेन्सी हेतु नामित करे।

(कार्रवाई– राज्य सरकार)

कार्य बिन्दु संख्या –12

अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित लक्ष्यों से 150 प्रतिशत अधिक आवेदन पत्र, बैंको को प्रेषित करें, जिनमें से जून त्रैमास तक 50 प्रतिशत सितम्बर त्रैमास तक 100 प्रतिशत तथा दिसम्बर' 11 त्रैमास तक 150 प्रतिशत आवेदन अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई– राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग)

कार्य बिन्दु संख्या –13

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को निर्देशित किया कि वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष मासिक उपलब्धियों का विवरण को (LBR 1&2), आर0पी0सी0डी0 के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, बैंक शाखाएं,आंकडो का ऑन–लाईन प्रेषण सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई– समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 14

अध्यक्ष महोदय ने सभी बैंको को निर्देशित किया कि उनके द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों को मिलान जिले के सी0आर0ए0 कार्यालय से कर लें ताकि लम्बित आर0सी0 के सही आँकड़े प्राप्त हो सकें। इस सम्बन्ध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैंकों द्वारा दर्ज की गयी आर0सी0 पर शीघ्रता से वसूली करें।

(कार्रवाई– समस्त बैंक/जिला अधिकारी)

कार्य बिन्दु संख्या – 15

भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्बन्धित बैंको को निर्देशित किया कि वे अपने लघु उद्योग क्षेत्र के Viable Sick Units को restructure कर नियमित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्रवाई – सम्बन्धित बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 16

सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से आग्रह किया गया है कि माह जून 2011 तक के एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का विवरण (एस0एल0बी0सी0 रिटर्न 1 से 48), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़ को दिनांक 15 जुलाई 2011 तक ई–मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड़ की बैठक 17 अगस्त 2011 को प्रस्तावित है।

(कार्रवाई– समस्त बैंक नियंत्रक/समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)